

रजि. शा. ले. 1730
27-11-15

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा (नवसृजित अनुभाग-3)

संख्या:- /XXIV(N-3)-49(6)12T.C/2015

देहरादून : दिनांक 21 नवम्बर 2015

M.R.(AMH)

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 के अनुसार बी०ए०ए० कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होने आदि के दृष्टिगत बी०ए०ए० पाठ्यक्रम (द्वि-वर्षीय) की शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अनानुदानित व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 में निहित प्राविधानानुसार गठित प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को सम्पन्न हुई। प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अधिनियम से आच्छादित राज्य के समस्त बी०ए०ए० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों की बी०ए०ए० पाठ्यक्रम (द्वि-वर्षीय) हेतु प्रतिवर्ष की दर से निम्नवत् शुल्क निर्धारित/लागू किया जाता है:-

राजकीय कोटे की सीटों का शुल्क	प्रबन्धकीय कोटे की सीटों का शुल्क	एन०आर०आई० कोटे की सीटों का शुल्क
रु० 42000 /-प्रति वर्ष	रु० 55000 /-प्रति वर्ष	रु० 75000 /-प्रति वर्ष

- उक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा। यदि किसी भी संस्थान/महाविद्यालय द्वारा अन्य शुल्क लिया जायेगा, तो उसे कैपिटेशन फीस माना जायेगा और संस्थान के विरुद्ध उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 की संगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लिये जाने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- संस्थान/महाविद्यालय द्वारा फीस निर्धारण के क्रम में जारी शासनादेश की प्रति प्रत्येक छात्र-छात्राओं को हस्तगत कराई जायेगी।
- एन०आर०आई० से तात्पर्य वही होगा जो प्रवासीय भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा से है। एन०आर०आई० उपलब्ध न होने पर एन०आर०आई० की सीटों पर इच्छुक अन्य छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा व उनसे एन०आर०आई का ही शुल्क वसूल किया जायेगा।

3- उक्त शुल्क इस आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिये लागू/निर्धारित है।

6- समिति द्वारा उक्त शुल्क का निर्धारण अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले प्रदेश में स्थापित स्वयत्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) के शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को आमंत्रित किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत समाचार पत्रों में प्रकाशित "विज्ञप्ति" एवं तत्क्रम में निर्धारित तिथि तक समिति को प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों में उल्लिखित तथ्यों की प्रमाणिकता की पुष्टि शुल्क निर्धारण के लिए समिति द्वारा भविष्य में की जा सकती है।

(एस०रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या :- 1/51 / XXIV(N-3)49(6)12T.C / 2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, कुलाधिपति, उत्तराखण्ड को महामहिम कुलाधिपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर, राजस्थान।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय / कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
9. समस्त बी०एड० महाविद्यालय / संस्थान द्वारा-संबंधित विश्वविद्यालय।
10. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव